न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

फौजदारी वाद संख्या–460/2020
मुकदमा अपराध सं0–51/2020
सरकार बनाम रामध्यान
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–खुखुन्दू, जनपद–देवरिया।

07.01.2022

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त रामध्यान पुत्र प्रहलाद यादव न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–21.01.2022 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–07.01.2022
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

फौजदारी वाद संख्या–460/2020
मुकदमा अपराध सं0–51/2020
सरकार बनाम रामध्यान
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–खुखुन्दू, जनपद–देवरिया।

<u>आरोप</u>

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया, आप अभियुक्त **रामध्यान पुत्र प्रहलाद यादव** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक–01.04.2020 को समय 08:45बजे मुखबीर खास की सूचना पर पुलिस द्वारा आप अभियुक्त को बहदस्थान–तुलसी वारा मोड़ से 50 कदम आगे मगहरा रोड से पकड़ा गया एवं चेकिंग के दौरान आपके कब्जे से झोले के अन्दर प्लास्टिक की थैली में रखा 1किलो 300ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अधीन दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–07.01.2022 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

<u>अभियुक्त का प्रतिकथन–</u>

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की मॉग की गयी।

(लोकेश कुमार)
दिनांक–07.01.2022 विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2022.01.07 17:21:53 IST
Reason: Charge Framed
Location: District and Sessions Court